



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



जहाँ है लक्ष्मी ।  
वहाँ है सूर्यदात्री ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeftolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/54/2015/एफ.सी./1076

दिनांक: 30/12/15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,  
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,  
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन कट कैनल के किनारे 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु 0.6448 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 335 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-1166/गाजियाबाद/16073/यू०पी०-172/2015, दिनांक- 30.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. पृष्ठ 15 में संलग्न मानचित्र के अनुसार 15 हस्तचित्र मानचित्र सम्मिलित है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण में पुनः प्रत्यावर्तन का मामला भी सम्मिलित है।
2. पृष्ठ 16 एवं 17 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स बिना मुख्य बिन्दुओं के हैं और शेष बिन्दु पठनीय नहीं है।
3. पृष्ठ 33 में संलग्न क्षेत्रफल की गणना हस्तरेखीय हैं एवं क्षेत्रफल की गणना बोधगम्य नहीं है।
4. पृष्ठ 37 में संलग्न टिप्पणी "वन भूमि की आवश्यकता" के लिए अनुपयुक्त है।
5. प्रस्ताव में प्रस्तावित 335 वृक्षों का पातन चाहा गया है जबकि पृष्ठ 40 के भाग-11 में उपलब्ध ब्यौरे में पातन होने वाले केवल 210 वृक्ष दर्शाये गये हैं। स्पष्ट रूप से दो सूचि बनायी जाए। एक सूची में प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े सभी वृक्षों का और दूसरी सूचि में पातन होने वाले वृक्षों का।
6. प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना प्रस्तुत नहीं की गयी है।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ 53 से 62 पर पातन होने वाले वृक्षों की सूची में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. पृष्ठ 66 में उपलब्ध मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स के साथ मुख्य बिन्दुओं को जोड़कर तालिका में नहीं उपलब्ध कराया गया है।
9. पृष्ठ 80 में उपलब्ध मानचित्र में सारिणी, तालिका एवं अन्य ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है।
10. पृष्ठ-81 में संबंधित मानचित्र का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
11. प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में कई स्थान पर विभागीय अधिकारियों की मोहर नहीं लगी हुई है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अधूरा है।
13. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का डिजीटल मानचित्र KML File के साथ सी०डी० में प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।


प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ०प्र०।
4. अधिष्ठासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

  
30/12/15

(बृजेंद्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}